न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती वन्दना सिंघवी, आई.ए.एस

अपील संख्याः 65/2012 एल.आर.एक्ट GCMS No. 2012/00112

1. खींव सिंह पुत्र बापूराम जाति माली साकिन बीकानेर।

– अपीलान्ट

बनाम

1. भंवरी देवी बेवा गोरधन जाति सिकलीगर साकिन पठानों का मौहल्ला, बीकानेर।
2. अशोक कुमार
3. प्रेमसुख
4. राजेश
5. शशिकला
6. रामदुलारी
7. रेखा
8. लीला

   पिसरान् गोरधन जाति सिकलीगर साकिन पठानों का मौहल्ला, बीकानेर।
9. राजस्थान सरकार।

— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री विजय कुमार पारीक अभिभाषक अपीलांट्स
श्री राजेश कुमार शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स सं. 1 ता 6

निर्णय

दिनांक 06.05.2024

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय तहसीलदार बीकानेर के आदेश दिनांक 21.08.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त भूमि चक 481–500 आर.डी पटवार हल्का कानासर तहसील बीकानेर में मुरब्बा नं. 152/14 की किला नं. 3 ता 8, 12 ता 19 कुल 14 बीघा शान्ति पत्नी भंवरलाल की आवंटित कृषि भूमि है। वादग्रस्त भूमि की वसीयत आवंटी शान्ति पत्नी भंवरलाल ने अपीलांट खींव सिंह के पक्ष की गई। शान्ति पत्नी भंवरलाल की मृत्यु के पश्चात विरासतन इंतकाल संख्या 37 दिनांक 06.01.94 गोरधन पुत्र भंवरलाल के नाम दर्ज कर दिया गया। अपीलांट ने इंतकाल संख्या 37 के विरूद्ध अपील उपखण्ड अधिकारी बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसे जिला कलक्टर, बीकानेर के आदेश क्रमांक 32 दिनांक 23.01.2003 द्वारा उपखण्ड अधिकार लूनकरणसर को स्थानान्तरित की गई क्योंकि इंतकाल संख्या 37 दिनांक 06.01.94 वर्तमान उपखण्ड अधिकारी बीकानेर द्वारा उस समय पारित किया गया जब वे तहसीलदार बीकानेर के पद पर कार्यरत थें। इंतकाल संख्या 37 के विरूद्ध की गई प्रथम अपील में उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर ने दिनांक 05.04.2003

को अपील इस निर्देश के साथ तहसीलदार बीकानेर को रिमाण्ड कर दी कि पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देने के पश्चात मौके की जांच कर नियमानुसार निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर के रिमाण्ड किए गए उक्त प्रकरण में तहसीलदार बीकानेर ने आदेश दिनांक 21.08.2012 द्वारा अपीलांट खीवसिंह के पक्ष में की गई वसीयत नियम विरूद्ध होने के कारण उक्त प्रकरण खारिज कर दिया एवं विरास्तन नामान्तरकरण संख्या 37 दिनांक 06.01.94 को यथावत रखा गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बीकानेर के आदेश दिनांक 21.08.2012 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलाधीन भूमि के संबंध में सन 1991–92 में पूर्व में खातेदार व बाद में आवंटी शान्ति पत्नी भंवरलाल ने खींव सिंह के पक्ष में वसीयत दो गवाहों के सामने कर दी। वसीयतकर्त्ता शान्ति पत्नी भंवरलाल के देहान्त के पश्चात एकतरफा तौर पर बिना कब्जा काश्त की जांच किए इंतकाल गोरधन के नाम दर्ज कर दिया। जिसके विरूद्ध अपीलांट ने प्रथम अपील न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर दी। प्रथम अपील को दिनांक 05.04.2003 को स्वीकार कर इस निर्देश के साथ रिमाण्ड कर दी कि मौका रिपोर्ट ली जाकर जांच कर इंतकाल दर्ज किया जावें। इस पर मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। खींव सिंह का कब्जा काश्त की रिपोर्ट आई, वसीयत के गवाह पेश किए गये। इसके बावजूद वसीयत के आधार पर यह कहते हुए इंतकाल दर्ज नहीं किया कि उक्त वादग्रस्त भूमि गैर खातेदारी भूमि है। उपनिवेशन विभाग में आंवटन के सात वर्ष पश्चात किश्ते जमा होने पर स्वतः ही खातेदार हो जाता है। उपनिवेशन विभाग में गैर खातेदारी की वसीयत की जा सकती है। इस तथ्य को अनदेखा किया गया है। उक्त वादग्रस्त भूमि पूर्व में खातेदारी थी। उपनिवेशन विभाग में आने पर आलोटी दर्ज किया गया। धारा 39 राजस्थान टीनेंन्सी एक्ट इस पर लागू नहीं होता। बिना कब्जें के आधार पर विरासतन इंतकाल दर्ज ही नहीं होता है। रेस्पोडेन्टस ने रिमाण्ड पत्रावली के दौरान विरास्तन इंतकाल दर्ज करवाया, रिमाण्ड पत्रावली का निर्णय दिनांक 21.08.2012 को हुआ और नामान्तरकरण 2011 में दर्ज करवाया जो हो ही नही सकता था। अपीलांट एवं उसके पिता ने तमाम किश्तें जमा करवाईं। अपीलांट ने ही मृत्तक शान्ति की सेवा चारी की थीं। अपीलांट ने दाह संस्कार किया था। शान्ति के पुत्र ने शान्ति को घर ने निकाल दिया था। कब्जा आज भी मौके पर अपीलांट व उसके पिता का है। अतः अपील स्वीकार की जाकर आदेश अधीनस्थ न्यायालय निरस्त फरमावें एवं मृत्तक गोरधन के वारिसान के नाम दर्ज इंतकाल निरस्त फरमावें। वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज के आदेश फरमावें। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपनी बहस में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टिांत का हवाला दिया हैं–

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

1 आर.आर.डी. 2002 पेज संख्या 280 2. आर.आर.डी 2016 पेज संख्या 451

3– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने बहस के दौरान कथन किया कि विवादित भूमि के संबंध मे वारिसान इंतकाल संख्या 37 गोर्वधन नाम दर्ज किया गया। गोर्वधन के देहान्त के पश्चात नामान्तरणकरस संख्या 113 गोवर्धन के वारिसान के नाम दर्ज हुआ। वादग्रस्त भूमि के संबंध में जो वसीयत बताई गई है वह गैर–खातेदारी की वसीयत है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 39 के अनुसार गैर–खातेदारी भूमि की वसीयत नहीं की जा सकती है। खींवसिंह के पक्ष में जो वसीयत की गई है वह फर्जी है। खींवसिंह शान्ति का जायज वारिस नहीं है। वादग्रस्त भूमि आज भी गैर–खातेदार भूमि है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपनी बहस में निम्नलिखित आर.आर.डी. का हवाला दिया हैं।

4– हमने अधीनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख, उभय पक्ष की बहस तथा न्यायिक दृष्टांतों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। अभिभाषक अपीलांट ने अपनी अपील में अवगत कराया कि अपीलांट एवं अपीलांट के पिता ने ही वादग्रस्त भूमि की सारी किस्ते जमा करवाई है किन्तु इसके संबंध में अभिभाषक अपीलांट द्वारा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। वसीयतकर्त्ता शान्ति पत्नी भंवरलाल द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि की वसीयत अपीलांट के पक्ष में की गई, जो आज दिनांक तक गैर–खातेदारी भूमि हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 39 के अनुसार गैर–खातेदारी भूमि की वसीयत नहीं की जा सकती है। उपरोक्त विश्लेषण से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार(राजस्व) बीकानेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.08.2012 उचित है। अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार(राजस्व) बीकानेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.08.2012 को यथावत रखते हुए अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

5– तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 06.05.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6/5/24

(वन्दना सिंघवी)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर